

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान
कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक : शिविरा/माध्य./राशिकप्र/31590/2009-10

दिनांक : 25.4.2011

राज्य उपनिदेशक, (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)
राज्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)

विषय : राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान भारत सरकार द्वारा राज्य के राजकीय/अराजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र आमंत्रण। अन्तिम तिथि 10.06.2011


महोदय/महोदया,
भारत-सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की योजनान्तर्गत व्यवसायिक शिक्षा में अध्ययनरत शिक्षा विभाग के अधिनस्थ राजकीय/अराजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के बच्चों को वित्तीय सहायता दिए जाने बाबत संलग्न प्रारूप में प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। प्रार्थना-पत्र दिनांक 10.06.2011 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के पदनाम से आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए ताकि जांचोपरांत प्रार्थना-पत्र राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान भारत-सरकार नई दिल्ली को निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व भेजे जा सकें। तत्पश्चात् प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और न ही कोई सूचना दी जायेगी। अतः तद्विषयक अनावश्यक पत्र व्यवहार नहीं करें। विशेष ध्यातव्य :- प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र भरते समय एवं संबंधित अधिकारी द्वारा अग्रेषित करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखकर अग्रेषित किए जायें।

1. यह योजना मात्र राजस्थान राज्य के राजकीय/अराजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के बच्चों के लिए ही लागू होगी।
2. विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के बच्चे जो व्यावसायिक शिक्षा :- इंजीनियरिंग, मेडीसिन एवं मैनेजमेन्ट, पाठ्यक्रम डिग्री/डिप्लोमा में अध्ययनरत को ही वित्तीय सहायता देय होगी। निर्धारित पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) 4 वर्षीय अवधि का (8 सेमेस्टर) इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम निम्नांकित शाखाओं में : सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन, कम्प्यूटर विज्ञान, ऑटोमोबाइल एवं केमीकल इंजीनियरिंग, आरचीट्रेक्टर, टेक्सटाईल, माईनिंग, रबर टेक्नोलॉजी, नेवल आरचीट्रेक्टर, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फार्मसी, प्रिन्टिंग, केमीकल टेक्नोलॉजी, मेटलर्जीकल इंजीनियरिंग, इन्सट्रूमेन्टेशन एवं कंट्रोल एवं एयरोनोटीकल इंजीनियरिंग।
(आ) उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स (तीन वर्ष से कम नहीं)
(इ) मैडीकल कोर्स - एलोपैथी, होमियोपैथी एवं आयुर्वेदिक, पशु चिकित्सा विज्ञान (वेटरीनरी साइंस)
(ई) डिप्लोमा पाठ्यक्रम बी-फार्मा की अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।
(उ) स्नातक पाठ्यक्रम के पश्चात् मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।
3. प्रार्थना-पत्र की सभी प्रविष्टियाँ स्वयं अध्यापक/संस्था प्रधान द्वारा भरी जानी चाहिए।
4. भुगतान किया गया वास्तविक शुल्क प्रार्थना-पत्र के कॉलक संख्या 13 में स्पष्ट रूप से अंकित करें। प्रार्थना-पत्र के साथ शुल्क की मूल रसीदें संलग्न करें। फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार्य नहीं होगी। सम्पूर्ण भुगतान की रसीद यदि प्रस्तुत की जाती है तो उसका मदवार विवरण प्रस्तुत करने पर ही प्रार्थना-पत्र विचारणीय होगा। यदि भुगतान की रसीद क्षेत्रीय भाषा में हो तो मूल रसीद के साथ उसका अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद की प्रति राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवा कर संलग्न करें।
5. सत्र 2009-10 में छात्र जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का प्रमाण-पत्र संलग्न प्रारूप में संलग्न करें। यदि प्रमाण-पत्र क्षेत्रीय भाषा में हो तो मूल प्रमाण-पत्र के साथ उसका हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद की प्रति राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाकर संलग्न करें।
6. सहायता राशि मात्र ट्यूशन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) शुल्क के भुगतान पर ही देय है। अतः अन्य मदों पर किए गए भुगतान एवं एक मुश्त में दर्शाई गई राशि पर सहायता देय नहीं होगी।
7. सहायता राशि एक शैक्षणिक सत्र तक ही सीमित है। अध्यापक के बच्चों को वित्तीय सहायत हेतु प्रार्थना-पत्र छात्र के शैक्षणिक सत्र 2009-10 में अध्ययनरत के लिए ही स्वीकार्य होंगे।
8. पूर्व के वर्षों में असफल अथवा आगे के वर्षों में असफल हो जाने पर वह सहायता हेतु पात्र नहीं होगा। इन्टरनशिप अवधि के दौरान कोई सहायता देय नहीं होगी।
9. यह सहायता राशि केवल उत्तीर्ण छात्रों को ही देय होगी। ऐसे मामलों में जहां परिणाम घोषित नहीं हुआ है सहायता देय नहीं है।
10. व्यावसायिक शिक्षा में सहायता हेतु परिवार के एक ही बच्चे के लिए प्रार्थना-पत्र स्वीकार्य होगा।
11. सहायता राशि पूर्व के वर्षों में जिन्हें स्वीकृत नहीं हुई है, प्राथमिकता के आधार पर प्रथमतः उन्हीं को सहायता देय होगी।
12. भारत-सरकार द्वारा प्रार्थना-पत्र के आधार पर पात्रता की जांचोपरान्त एवं स्वीकृति राशि की अग्रिम स्टाम्प रसीद भिजवाने पर तथा भारत सरकार से सहायता राशि प्राप्त होने पर ही देय होगी। अतः अनावश्यक पत्र व्यवहार नहीं किया जाये।
13. वित्तीय सहायता की राशि भारत-सरकार, नई दिल्ली द्वारा ही स्वीकृत की जाती है। भारत सरकार द्वारा यदि राशि स्वीकृति नहीं की जाती है तो संस्था सहायता राशि हेतु जिम्मेवार नहीं है, जैसे ही भारत-सरकार से सहायता राशि प्राप्त होगी तत्काल भिजवा दी जायेगी।
14. अपूर्ण प्रार्थना-पत्र, शुल्क की मूल रसीदें नहीं होने एवं देशी से प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अतः ऐसी स्थिति में एवं निरस्त हुए प्रार्थना-पत्रों के बारे में कोई सूचना भी नहीं दी जावेगी।

कृपया उक्त विषयक सूचना अपने अधिनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों (राजकीय/अराजकीय) में प्रसारित एवं प्रचारित करावें ताकि अधिकाधिक अध्यापकगण इसका लाभ उठा सकें।

कृपया प्रार्थना-पत्रों को अपनी अनुशांषा सहित दिनांक 10.06.2011 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के पद नाम से भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि जांचोपरांत भारत-सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रार्थना-पत्र भिजवाये जा सकें।

संलग्न : निर्धारित प्रार्थना-पत्र की प्रति

भवदीया,

25/4/11
उपनिदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

Annexure-I

Application for financial assistance from National Foundation for Teachers' Welfare for Professional Education of Children of School Teachers. - 2009-10

1. Full name and permanent address of the applicant (in Block Letters) :
2. Date of birth and age of the applicant :
3. Whether the teacher is in service :
4. If answer to (3) above is 'Yes', please give the following particulars in respect of the post held at present :
 - (a) Designation :
 - (b) Name of the Institution where employed at present :
 - (c) Whether the Institution is a Govt. Institution/Aided/Private Institution :
5. Name of the student (In Block Letters) :
6. Date of birth and age of the student :
7. Relationship with the Student : Father / Mother
8. (a) Nature of professional course : Medical / Engineering / Management
- (b) Name & duration of course (with semesters) :
9. Name and address of the college where the student is studying/has studied during 2009-10 :
10. Date of admission (for 1st year) :
11. Year in which studying during 2009-10 : 1st / 2nd / 3rd / 4th
12. (i) Whether any scholarship is received from the Institution. If so, specify the amount :
 - (ii) Whether any assistance has already been received from N.F.T.W., for this purpose. If yes, give particulars :

- 13. Actual fees paid for the professional course :
(Attach original cash receipts.)
- 14. Amount of financial assistance claimed :
- 15. Whether certificate from the college :
where the student is studying is attached
- 16. **Certificate I** (to be furnished by the applicant)

I certify that to the best of my knowledge and belief, the particulars given above are correct. I fully understand that in the event of this being proved otherwise, I shall be liable to such action as the National Foundation for Teachers' Welfare may deem fit to take in the matter.

Place:

Date:

Signature of the Teacher

- 17. **Certificate II** (to be furnished by the Head of the Institution where the teacher is serving)

Certified that the particulars furnished by the applicant are correct.

Place:

Date:

Signature of Head of the Institution
(with official stamp)

-
- 18. Recommendations of the State Working Committee, i.e. amount of financial assistance recommended for the year 2009-10.

Place:

Date:

Signature of Secretary Treasurer
(with official stamp)

Name of the Institution :

Ref. No..... Date.....

Study Certificate

This is to certify that Sh./Km..... son / daughter
of Sh./Smt.working as teacher
in
is a bonafide student of this Institution and studying in/studied in.....year (1st/2nd/3rd/4th)/
.....semester (1st/2nd/3rd/4th/5th/6th/7th/8th) during the year 2009-10.

The student is studying/studied in this college as per details given below:

Name of course	Duration of course (with semesters)	Date of admission (for 1 st year)	Year of course	Whether passed or failed	Remarks

The student has received / not received scholarship from this Institution during the year 2009-10 of Rs.....

(Signature of the Principal)
with official seal